न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2008

प्रविष्टि दिनांकः– 03.07.2008

गणेश पुत्र जगदम्बा जाति माली निवासी डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक

..... अपीलांट

बनाम

1–छोटू पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक
2–प्रशासन एवं वित स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक जरिये विकास अधिकारी मालपुरा
3–ग्राम पंचायत डिग्गी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डिग्गी जिला टोंक

...... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय प्रशासन एवं वित स्थायी समिति मालपुरा दिनांक 11.12.2004 अपील संख्या 11/2004 उनवान छोटू बनाम गणेश आदि

उपस्थितः (1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलांट
(3) श्री पवन जैन अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.12.2019

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि प्रशासन एंव वित स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2004 से ग्राम पंचायत डिग्गी पंचायत समिति मालपुरा द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.10.1986 को ग्राम डिग्गी की आवादी भूमि मे जो पूर्व पश्चिम 18 फिट व उत्तर दक्षिण 25 फिट भूमि का पट्टा जारी किया गया है को निरस्त किये जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेण्ट्स की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली मय पट्टे की पत्रावली के तलब की गई । प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस नही दिया गया है और ना ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे मौका निरीक्षण दिनांक 12.08.2004 का उल्लेख किया है जबकि उक्त दिनांक को मौका देखने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया है और न ही मौका देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये ही निर्णय मे मौका निरीक्षण का हवाला देकर गलत निर्णय पारित किया है। तथाकथित पट्टा अपीलांट को निःशुल्क चयनित व्यक्ति के रूप मे दिया गया है जिसका रजिस्टर मे इन्द्राज है और अलग से कोई पत्रावली संधारित नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत से कोई रिकार्ड तलब नही किया और पत्रावली उपलब्ध नही होना बताकर गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपील से पूर्व ही दीवानी न्यायालय से विवादित भूमि के बारे मे स्थगन आदेश जारी था,जिसके बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने चुपचाप अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपील दायर कर अपीलांट को बिना विधिवत तामिल हुऐ ही अपीलांट के पट्टे को अवैध रूप निरस्त करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी सूरत मे स्टैण्ड रखे जाने योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2012 (1) पेज 374 व आर.आर.टी 2014 (2) पेज 134 उद्वरित किये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही पट्टा जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1994 मे द्वितीय अपील करने का प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2004 को निर्णय पारित किया गया है,उक्त निर्णय को चैलेज दिनांक 01.07.2008 को किया जा रहा है। दिनांक 10.03.2005 का सिविल कोर्ट का स्थगन आदेश की प्रति पेश की है लेकिन आज दिनांक को उक्त वाद की क्या स्थिति है स्पष्ट नही है। पट्टे बिना प्रस्ताव के जारी नही किये जा सकते है। पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली बनाना आवश्यक है। द्वितीय अपील के साथ भी कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये है। पंचायत राज अधिनियम मे किसी व्यक्ति को पंचायत समिति मे अपील पेश करने हेतु आज्ञा की आवश्यकता नही है। अपील अधिकारी को मौका देखने के लिए पक्षकारान को बुलाना आवश्यक नही है। साक्ष्य सबूत अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये है। विवादित भूमि खाली है। ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा पट्टे से संबंधित पत्रावली नही होना अंकित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.आर 2000(2) पेज 39–49 उद्वरित किये है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तथा प्रस्तुत दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत डिग्गी पंचायत समिति मालपुरा द्वारा आबादी भूमि का विकय–विलेख अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति,करीगरो,लधु व सीमान्त कृषको आबादी भूमि/अ.भूमि मे से निःशुल्क आवासीय आंवटन भू–खण्ड का पट्टा दिनांक 20.10.1986 को गणेश पुत्र जगदम्बा माली निवासी डिग्गी को जिसका माप पूर्व–पश्चिम 18 फीट,उत्तर–दक्षिण 25 फीट भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार पट्टा जारी नही किया गया है। ग्राम पंचायत डिग्गी से उक्त पट्टे संबंधित पत्रावली तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत डिग्गी ने उनके पत्र कमांक 210 दिनांक 20.10.2008 व 590 दिनांक 28.03.2009 से अवगत कराया है कि उक्त पट्टे से संबंधित पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि ग्राम पंचायत ने अपीलांट को बी.पी.एल चयनित मानकर निःशुल्क उक्त पट्टा जारी किया है, परन्तु इसकी पुष्टि मे कोई साक्ष्य–सबूत पेश नही है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने तर्क दिया है कि पट्टे बिना प्रस्ताव व विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जारी नही किये जा सकते है। पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली बनाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2004 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलांट अस्वीकार कि जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति.जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.06 16:31:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: